रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA** REGISTERED No. D.L .- 33002/99



EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 181] No. 181]

दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931

[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 233

DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931

IN.C.T.D. No. 233

भाग-ए

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

> शिक्षा निदेशालय अधिसचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

सं. फा. डी. ई. 01(05)/15/रीडर/स्था.-1/08/18540.--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13, जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम्(आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 11 के अधीन गठित दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण में रीडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रींडर	*01 (2008) *इसमें परिवर्तन कार्यभार	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित,	4000-100- 6000 ₹.	लागू नहीं	लागू नहीं	
	पर निर्भर ।	अलिपिकीय	-			1

के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है

तथा अन्य योग्यताएं

(7)

(8)

लागू नहीं

लागू नहीं

9616

	1	r	7	١
	1		α	,
	١	1		
	•	-	-	

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागृ होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं
मतीं की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
	प्रतिनियुक्ति : कंन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी : (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद्धारण करने वाले ; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 3200-4900 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 3050-4590 रु. या समकक्ष के वंतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित; तथा (ख) किसी पीठासीन न्यायालय/अपीलीय न्यायालयों/न्यायाधिकरण में रीडर अथवा अहलमद के रूप में कार्य अनुभव । टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संव राज्य क्षेत्र के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त की अन्तिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
25.0	
	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
(13)	(14)
लागू नहीं	लागू नहीं ।
EDUCATION DEED	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, जी. एल. मीणा, अतिरिक्त सचिव

EDUCATION DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2009

No. F. D.E. 1(5)/15/RR/Reader/E-I/08/18540.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F. 27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules in the schedule annexed thereto regarding the method of recruitment and qualifications, necessary for appointment to the post of Reader in the Delhi School Tribunal, constituted under Section 11 of the Delhi School Education Act, 1973 in the Department of Education, Government of the National Capital Territory of Delhi.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Reader in the Delhi School Tribunal in the Department of Education, Government of N.C.T. of Delhi

	14 4 8	Gov	ernment of N.	C.T. of Delhi		
Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selec- tion by merit or selection-cum- seniority or non- selection post	Age limit for direc	t recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Reader .	01*(2008) *Subject to	General Central Service, Group 'C',	Rs. 4000- 100-6000	Not applicable	Not applicable	9
- pa =	dependent on workload.	Non-Gazened, Non-Ministerial				
	9					
Whether bene admissible und Rules, 1972	efit of added ye der rule 30 of the	ars of service CCS (Pension)	Education	al and other qualifie	cations required for	direct recruits
. (7)				(8)	
Not app	olicable	Ű.			nnliashla	
	1.0				ррисавіе	
recruits will ap	pply in the case of	ualifications prescr of promotees	_ =	, , , , ,	of Probation, if any	
Not appl	licable		#	Not	applicable	· · ·
	,	3				
y promotion or	by deputation/al be filled by vario	r by direct recruitme esorption and perce- us methods	ntage abs	sorption, grades from to be made		on/deputation. on/deputation
	(11)			(12)	79	
*	By deputation		Off	outation: icers of the Centra on Territories:	d Government/State	Government/
		VI III	(a)	(i) Holding analo parent cadre/o	ogous posts on regularitment; or	lar basis in the
			# F	appointment th	service in the grade hereto on a regular b 00—4900 or equivale ent; or	asis in the pay
				appointment th	service in the grade hereto on a regular b 50—4590 or equivale	asis in the pay

cadre/department; and

4		DE	LHI GAZETTE :)	EXTRAORDINARY	(PAR: AV
				(12)	
		3.2		(b) Working experience as Reader of Presiding Court/Appellate Courts/T	
				Note: Period of deputation including point another ex-cadre post held immediate appointment in the same organization/department of Government/State Governments, shall ordinarily not to exceed 3 years.	ediately preceding e or some other f the Central /Union Territories
	* // // // // // // // // // // // // //		30 A	age limit for appointment by do not exceeding 56 years as on clos of applications.	eputation shall be

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, G. L. MEENA, Addl. Secy.